5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र /2015 निगरानी निग/3234/III/15

अनेक सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह व्यवसाय खेती

निवासी ग्राम कृष्णगंज परगना पोहरी जिला शिवपुरी

........आवेदक

विरूद्ध

धनीराम पुत्र भागचंद ओढ निवासी ग्राम किशनपुरा परगना पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0 ....अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायव तहसीलदार बैराड जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र 1375/14–15बी 121 मे पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से अपील आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

निगरानी कें संक्षेप मे तथ्यः–

प्रकरण के सूक्ष्य में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ,

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी मे स्थिति कृर्षि भूमि सर्वे नम्बर 6/1 एवं 9/1 पुराने नम्बर जिनके नये नम्बर 26,27,314,315,316,317,290,291,310, है जिनका रकबा कमश 0.46,0.03,0.92,0.21,0.06,0.03,1.12,0.18,0.10 हे0 कुल किता 9 कुल रकबा 3.11 हे0 के भूमि स्वामी व आधिपत्य धारी आवेदक रहे है जिनका खसरा खतौनी मे नाम भी अंकित है वर्तमान मे भी नाम व काविज है। विद्धवान नायव तहसीलदार महोदय वैराड के प्रकरण क 20/86–87 /अ–6 अ मे पारित आदेश दिनांक 31.10.1990 के द्धारा आवेदक अनेक सिह का संहिता की धारा 169/190 के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व के रूप मे नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये जिसमे आवेदक का नाम दर्ज होकर काविज हुये । इस तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध काफी लम्बे समय वाद अनावेदक द्धारा अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष अपील क 24/2011–12 अ0मा0 प्रस्तुत की गई जो अपील गुण दोषो पर खारिज की गई एवं तहसील न्यायालय का आदेश यथावत माना गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक धनीराम द्धारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील क 140/14–15 प्रस्तुत की गई जो अपील रिकार्ड व अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 18.8.2015 से अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक अनेक सिह द्धारा शीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./3234/तीन/2015 जिला शिवपुरी

अनेक सिंह विरूद्ध धनीराम मृतवारिस-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बैराड़, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-1375/2014-15/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 03/9/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 8/08/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 17/6/19	